रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 468] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 23, 2011/भाद्र 1, 1933
No. 468] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 23, 2011/BHADRA 1, 1933

IndiaCode

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2011

सा.का.नि. 633(अ).—पासपोर्ट अधिनियम, 1967 (1967 का 15) की धारा 5 के साथ पठित धारा 24 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा पासपोर्ट नियम, 1980 का आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, नामतः :—

1. (1) इन नियमों को पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2011 कहा जाए ।

(2) ये राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे ।

2. पासपोर्ट नियम, 1980 में,—

(1) नियम 3 के उप-नियम (2) में प्रथम और द्वितीय परन्तुकों के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुकों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः—

"परन्तु आपवादिक और तात्कलिक मामलों में उक्त अधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति से पासपोर्ट अथवा यात्रा दस्तावेज जारी करने हेतु आवेदन प्राप्त कर सकता है जो सामान्य तौर पर उसकी अधिकारिता के भीतर निवास न कर रहा हो और ऐसे व्यक्ति को चौबीस महीनों से अनधिक अवधि के लिए पासपोर्ट अथवा यात्रा दस्तावेज जारी कर सकता है।"

(2) नियम 8, के उपनियम (1) में "यथास्थिति स्तंभ (3) अथवा स्तंभ (4)" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर "यथास्थिति स्तंभ (3), (4) अथवा (5)" शब्द, कोष्ठक और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(3) नियम 12 में,—

(क) उप नियम (1), में "यथास्थिति-अथवा 20 वर्ष" शब्दों और अंकों को विलोपित किया जाएगा;

(ख) उप नियम (4) में "छः माह" शब्दों के स्थान पर "तीन माह" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(4) प्रपत्र ईए(पी)-13 की अनुसूची-III, भाग-I,

(क) अनुपूरक प्रपत्र में, स्तंभ 7.1 में "न्यायालय से अनापत्ति प्रमाणपत्र संलग्न करें" शब्दों के स्थान पर "न्यायालय से लिखित अनुमति संलग्न करें" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) "पासपोर्ट आवेदन प्रपत्र और अनुपूरक प्रपत्र भरने के लिए अनुदेश" शीर्ष में-

(i) खंड अ सामान्य अनुदेश में "आवेदन कहां करें: कृपया विस्तृत जानकारी के लिए पृष्ठ 13 देखें" प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी नामतः–

"आवेदन कहां करें – कृपया खंड एफ देखें।";

(ii) खंड बी में "स्तंभ 1.4 आवदेन का प्रकार" शीर्ष के नीचे उल्लिखित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, नामतः–

"

- यदि आप तत्काल स्कीम के अंतर्गत तत्काल पासपोर्ट चाहते हैं तो तत्काल बॉक्स पर क्रास करें अन्यथा सामान्य बॉक्स पर क्रास करें।
- तत्काल स्कीम के अंतर्गत आपको अनुबंध 'एफ' पर दिए गए निदेश के अनुसार सत्यापन प्रमाणपत्र और अनुबंध 'आई' पर दिए गए निदेश के अनुसार मानक शपथपत्र अथवा सोलह दस्तावेजों की सूची में से तीन दस्तावेज और अनुबंध 'आई' पर दिए गए निदेश के अनुसार मानक शपथपत्र प्रस्तुत करना होगा। कृपया दस्तावेजों की पूरी सूची के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों और आवेदक श्रेणियों के लिए सारणी 2 देखें और "सोलह दस्तावेजों की सूची" के लिए सारणी-3: दस्तावेजों की समग्र सूची – दस्तावेज संख्या 54 देखें।
- पासपोर्ट जारीकर्ता प्राधिकारी को सत्यापन प्रमाणपत्र जारी करने वाले अधिकारी से इसकी प्रामाणिकता का सत्यापन करने का अधिकार होगा।
- तत्काल स्कीम के अंतर्गत तात्कालिकता का कोई प्रमाण वांछित नहीं है तब को छोड़कर जब विदेश में विशेषज्ञता चिकित्सा और परामर्श के आधार पर तत्काल शुल्क से छूट की मांग की गई हो, और ऐसे सभी मामलों में पुलिस सत्यापन बाद में किया जाएगा।
- तत्काल स्कीम के अंतर्गत पासपोर्ट के लिए शुल्क सामान्य आवेदन शुल्क के अतिरिक्त है। शुल्क पर विस्तृत जानकारी के लिए पासपोर्ट अनुदेश पुस्तिका के खंड ई को देखें।
- कतिपय श्रेणियों के लिए तत्काल आवेदन की अनुमति नहीं दी गई है। तत्काल स्कीम के अंतर्गत जिन श्रेणियों को आवेदन करने की अनुमति नहीं दी गई है उनकी सूची "सारणी 2" पर देखें।

(III) खंड डी में,–

(क) उपखंड डी.1 में,–

(क) "डी.1 – आवेदकों की श्रेणियों और उनके द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची" शीर्ष के नीचे क्रमांक-4 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः–

"4 दस्तावेज संख्या 10 अथवा 49 अथवा 54 – अनुबंध 'च' पर दिए गए निदर्श के अनुसार पेशंन भुगतान आदेश अथवा सत्यापन प्रमाणपत्र अथवा 16 दस्तावेजों की सूची" के अनुसार 16 में से 3" दस्तावेज। 16 दस्तावेजों की सूची सारणी 3 पर दी गई है, दस्तावेज संख्या 54 देखें।";

(ख) सारणी 2 में,–

(1) संख्या (I) ए के मामले में, क्रमांक 7 के सामने, पासपोर्ट सेवाएं शीर्ष के अंतर्गत नया पासपोर्ट" उपशीर्ष में " आयुवर्ग 18-21" शब्दों और अंकों के स्थान पर "आयुवर्ग 15-18" शब्द और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(2) संख्या (II) ई के मामले में क्रमांक 15 के सामने "प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज" शीर्ष के नीचे "दस्तावेज संख्या-तत्काल आवेदन" उपशीर्षक में "1,(यदि पता पुराने पासपोर्ट से भिन्न है), 3,5" के स्थान पर "लागू नहीं" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी;

(ख) उपखंड डी.2 में " डी.2 दस्तावेजों की समग्र सूची" शीर्षक के नीचे सारणी 3 में क्रमांक 54 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रमांक और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, नामतः–

"54	सूचीबद्ध 16 दस्तावेजों में से 3 दस्तावेज निम्नानुसार हैं: नोट 2: • नीचे सूचीबद्ध सोलह दस्तावेजों में से प्रस्तुत किए जाने वाले तीन दस्तावेजों में से एक दस्तावेज एक फोटो पहचान संबंधी दस्तावेज होना चाहिए और इन तीनों में से कम से कम नीचे (ए) से (जे) पर दर्शाए दस्तावेजों में से होना चाहिए। • सभी तीनों दस्तावेजों में एक ही नाम रहना चाहिए। (ए) चुनाव फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी)

	(बी) राज्य/केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों अथवा पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी सेवा फोटो पहचान पत्र। (सी) अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. प्रमाणपत्र। (डी) स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र। (ई) हथियार लाइसेंस। (एफ) पट्टा, रजिस्टर्ड विलेख आदि जैसे संपत्ति के दस्तावेज। (जी) राशन कार्ड। (एच) पेंशन संबंधी दस्तावेज जैसे भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन पुस्तिका/पेंशन भुगतान आदेश, भूतपूर्व सैनिकों के विधवा/आश्रित प्रमाणपत्र, वृद्धावस्था पेंशन आदेश, विधवा पेंशन आदेश। (आई) रेल पहचान पत्र। (जे) अपना पासपोर्ट (जो जब्त न किया गया हो और क्षतिग्रस्त न हो)। (के) आयकर पहचानपत्र (पैन) कार्ड। (एल) बैंक/किसान/डाकघर पासबुक। (एम) पूर्णकालिक पाठ्यक्रमों के संबंध में सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त शैक्षणिक संस्थानों द्वारा जारी छात्र फोटो पहचान पत्र। (एन) ड्राइविंग लाइसेंस (जिस राज्य में आवेदन प्रस्तुत किया जाए, उनके क्षेत्राधिकार के भीतर वैध) (ओ) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत जारी जन्म प्रमाणपत्र। (पी) गैस कनैक्शन बिल (एक वर्ष पहले का एवं वर्तमान बिल)।";

(iv) खंड (ई) में, शीर्षक शुल्क सूची के अंतर्गत, तालिका 4 के मामले में, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किए जाएंगे, नामतः–

"तालिका 4: शुल्क सूची

क्र.सं.	अपेक्षित सेवा	आवेदन शुल्क	अतिरिक्त तत्काल शुल्क
1.	नया पासपोर्ट अथवा जिसमें 10 वर्ष की वैधता वाले बीजा पृष्ठों (36 पृष्ठ) के समाप्त हो जाने के कारण अतिरिक्त पुस्तिका सहित पासपोर्ट पुनः जारी करना (उसमें 15 से 18 वर्ष के बीच की आयु वाले बच्चे भी शामिल हैं, जो 10 वर्ष की पूर्ण वैधता वाले पासपोर्ट प्राप्त करना चाहते हैं)	1,000/- रु.	1,500/- रु.
2.	नया पासपोर्ट अथवा जिसमें 10 वर्ष की वैधता वाले बीजा पृष्ठों (60 पृष्ठ) के समाप्त हो जाने के कारण अतिरिक्त पुस्तिका सहित पासपोर्ट का पुनः जारी करना (उसमें 15	1,500/- रु.	1,500/- रु.

	से 18 वर्ष के बीच की आयु वाले बच्चे भी शामिल हैं, जो 10 वर्ष की पूर्ण वैधता वाला पासपोर्ट प्राप्त करना चाहते हैं)		
3.	नया पासपोर्ट अथवा उन बच्चों के लिए 5 वर्ष की वैधता वाला (18 वर्ष से कम आयु वाले) अथवा 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो (36 पृष्ठ) के लिए पासपोर्ट का पुनः जारी करना।	600/- रु.	1,500/- रु.
4.	गुम, क्षतिग्रस्त अथवा चोरी हुए पासपोर्ट के बदले पासपोर्ट (36 पृष्ठ) जारी करना।	2,500/- रु.	1,500/- रु.
5.	गुम, क्षतिग्रस्त अथवा चोरी हुए पासपोर्ट के बदले पासपोर्ट (60 पृष्ठ) जारी करना।	3,000/- रु.	1,500/- रु.
6.	व्यक्तिगत विवरण में परिवर्तन के चलते (10 वर्ष की वैधता वाले) पासपोर्ट (36 पृष्ठ) का प्रतिस्थापन	1,000/- रु.	1,500/- रु.
7.	व्यक्तिगत विवरणिका में परिवर्तन के चलते (10 वर्ष की वैधता वाले) पासपोर्ट (60 पृष्ठ) जारी करना।	1,500/- रु.	1,500/- रु.
8.	ऐसे बच्चों (जिनकी आयु 18 वर्ष से कम हो) के लिए 5 वर्षों की वैधता वाले या जब तक कि वह 18 वर्ष की आयु का हो नहीं जाता, जो जारी पासपोर्ट में व्यक्तिगत विवरण में परिवर्तन के कारण पासपोर्ट (36 पृष्ठ) को प्रतिस्थापित करना, जो भी पहले हो।	600/- रु.	1,500/- रु.
9.	ईसीआर समाप्त करने के लिए पासपोर्ट (36 पृष्ठ) का प्रतिस्थापन (10 वर्षों की वैधता वाला)	1,000/- रु.	लागू नहीं।
10.	ईसीआर समाप्त करने के लिए पासपोर्ट (60 पृष्ठ) का प्रतिस्थापन (10 वर्ष की वैधता वाला)	1,500/- रु.	लागू नहीं।
11.	पुलिस अनापत्ति प्रमाण पत्र (पीसीसी) अथवा अभ्यर्पण प्रमाण पत्र अथवा जन्म तिथि प्रमाणपत्र अथवा पासपोर्ट से संबंधित कोई अन्य विविध प्रमाणपत्र जारी करना।	500/- रु.	लागू नहीं।

नोटः

1. तत्काल आवेदन उसी हालत में स्वीकार किया जाएगा, यदि आवेदक नियमों के अंतर्गत तत्काल आवेदन प्रस्तुत करने के लिए पात्र हो।
2. तत्काल शुल्क का भुगतान उपरोक्त आवेदन शुल्क के अतिरिक्त होगा।";

(v) शपथपत्रों/घोषणापत्रों के नमूने शीर्षक के अंतर्गत भाग जी, में

(क) अनुबंध "एफ" में "मोबाइल नंबर " शब्दों के बाद निम्नलिखित शामिल किया जाए, अर्थात्

"फैक्स नंबर
ई-मेल आईडी";

(ख) अनुबंध "जे" में मोबाइल नंबर" शब्दों के बाद निम्नलिखित शामिल किया जाए, अर्थात्

"फैक्स नंबर
ई-मेल आईडी".

[फा. सं. वी.आई/401/01/05/08]

मुक्तेश कु. परदेशी, संयुक्त सचिव और मुख्य पासपोर्ट अधिकारी

टिप्पणी : मूल नियम 11 दिसंबर, 1980 के सा.का.नि. 691 (ई) के तहत मुख्य नियम भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा इसके बाद निम्नलिखित के माध्यम से संशोधित किए गए थे:-

(i) सा.का.नि. 50 (ई), दिनांक 7.2.1981;
(ii) सा.का.नि. 494 (ई), दिनांक 10.6.1981;
(iii) सा.का.नि. 469 (ई), दिनांक 24.6.1982;
(iv) सा.का.नि. 325 (ई), दिनांक 12.4.1983;
(v) सा.का.नि. 494 (ई), दिनांक 16.6.1983;
(vi) सा.का.नि. 345 (ई), दिनांक 29.3.1985;
(vii) सा.का.नि. 860 (ई), दिनांक 8.11.1985;
(viii) सा.का.नि. 857 (ई), दिनांक 13.10.1987;
(ix) सा.का.नि. 84 (ई), दिनांक 11.2.1988;
(x) सा.का.नि.1155 (ई), दिनांक 21.11.1988;
(xi) सा.का.नि. 622 (ई), दिनांक 27.7.1990;
(xii) सा.का.नि. 653 (ई), दिनांक 2.7.1990;
(xiii) सा.का.नि. 100 (ई), दिनांक 4.3.1991;
(xiv) सा.का.नि. 275 (ई), दिनांक 20.3.1991;
(xv) सा.का.नि. 586 (ई), दिनांक 21.6.1991;
(xvi) सा.का.नि. 111 (ई), दिनांक 22.1.1992;
(xvii) सा.का.नि. 684 (ई), दिनांक 15.6.1992;
(xviii) सा.का.नि. 721 (ई), दिनांक 7.8.1992;
(xix) सा.का.नि. 477 (ई), दिनांक 16.6.1993;
(xx) सा.का.नि. 485 (ई), दिनांक 1.7.1993;

IndiaCode

(xxi) सा.का.नि. 503 (ई), दिनांक 10.7.1993;

(xxii) सा.का.नि. 833 (ई), दिनांक 2.12.1994;

(xxiii) सा.का.नि. 592 (ई), दिनांक 7.8.1995;

(xxiv) सा.का.नि. 491 (ई), दिनांक 28.8.1997;

(xxv) सा.का.नि. 605 (ई), दिनांक 5.10.1998;

(xxvi) सा.का.नि. 516 (ई), दिनांक 8.7.1999;

(xxvii) सा.का.नि. 827 (ई), दिनांक 29.12.1999;

(xxviii) सा.का.नि. 472 (ई), दिनांक 22.5.2000;

(xxix) सा.का.नि. 473 (ई), दिनांक 22.5.2000;

(xxx) सा.का.नि. 485 (ई), दिनांक 23.5.2000;

(xxxi) सा.का.नि. 529 (ई), दिनांक 8.6.2000;

(xxxii) सा.का.नि. 584 (ई), दिनांक 12.6.2000;

(xxxiii) सा.का.नि. 632 (ई), दिनांक 29.6.2000;

(xxxiv) सा.का.नि. 482 (ई), दिनांक 26.6.2001;

(xxxv) सा.का.नि. 527 (ई), दिनांक 9.7.2001;

(xxxvi) सा.का.नि. 576 (ई), दिनांक 27.7.2001;

(xxxvii) सा.का.नि. 817 (ई), दिनांक 29.10.2001;

(xxxviii) सा.का.नि. 879 (ई), दिनांक 4.12.2001;

(xxxix) सा.का.नि. 235 (ई), दिनांक 28.3.2002;

(xl) सा.का.नि. 417 (ई), दिनांक 29.5.2002;

(xli) सा.का.नि. 429 (ई), दिनांक 23.5.2003;

(xlii) सा.का.नि. 399 (ई), दिनांक 5.5.2005;

(xliii) सा.का.नि. 674 (ई), दिनांक 27.10.2006;

(xliv) सा.का.नि. 768 (ई), दिनांक 23.12.2006;

(xlv) सा.का.नि. 396 (ई), दिनांक 25.5.2007;

(xlvi) सा.का.नि. 526 (ई), दिनांक 2.8.2007;

(xlvii) सा.का.नि. 733 (ई), दिनांक 28.11.2007;

(xlviii) सा.का.नि. 43 (ई), दिनांक 22.01.2008;

(xlix) सा.का.नि. 103 (ई), दिनांक 22.02.2008;

(l) सा.का.नि. 850 (ई), दिनांक 11.12.2008;

(li) सा.का.नि. 390 (ई), दिनांक 04.06.2009;

(lii) सा.का.नि. 93, दिनांक 26.06.2009;

(liii) सा.का.नि. 372 (ई), दिनांक 27.4.2010;

(liv) सा.का.नि. 675 (ई), दिनांक 26.7.2010.

IndiaCode

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd August, 2011

G.S.R. 633(E).—In exercise of the powers conferred by section 24, read with section 5, of the Passports Act, 1967(15 of 1967), the Central Government hereby makes the following rules to further amend the Passports Rules, 1980, namely:--

1. (1) These rules may be called the Passports (Amendment) Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Passports Rules, 1980,–

(1) in rule 3, in sub-rule (2), for the first and second provisos, the following proviso shall be substituted, namely:–

"Provided that in exceptional and urgent cases the said officer may entertain an application for the issue of a passport or travel document from a person not ordinarily residing within his jurisdiction and may issue a passport or travel document to such a person for a period not exceeding twenty-four months.";

(2) in rule 8, in sub-rule (1), for the words, brackets and figures "column(3) or column (4), as the case may be", the words, brackets and figures "columns (3) , (4) or (5), as the case may be" shall be substituted;

(3) in rule 12,–

(a) in sub-rule (1), the words and figures "or 20 years as the case may be," shall be omitted;

(b) in sub-rule (4), for the words "six months", the words "three months" shall be substituted;

(4) in Schedule III, in Part I, in Form EA(P)-13, –

(a) in the SUPPLEMENTARY FORM, in Column 7.1, for the words and letters "attach NOC from the court", the words "attach written permission from the court" shall be substituted;

(b) in the heading INSTRUCTIONS FOR FILLING OF PASSPORT APPLICATION FORM AND SUPPLEMENTARY FORM,--

(i) in Section A. GENERAL INSTRUCTIONS, for the entry "WHERE TO APPLY: Please see page 13 for details.", the following entry shall be substituted, namely: –

"WHERE TO APPLY: Please see Section F.";

(ii) in Section B, under the heading <Column 1.4: Type of Application>, for the entry, the following entry shall be substituted, namely:–

"

- Put a cross against the Tatkaal box, if you need the passport urgently under the Tatkaal scheme or else put a cross against the Normal box.
- Under Tatkaal scheme, you need to submit a Verification Certificate as per specimen at Annexure 'F' and Standard Affidavit as per the specimen at Annexure 'I' or three documents out of the list of sixteen documents and Standard Affidavit as per the specimen at Annexure 'I'. Please refer Table 2: List of Applicant Categories and Documents to be submitted for complete list of documents and Table 3: Overall List of Documents – Document No. 54 for 'List of sixteen documents'.
- The Passport Issuing Authority has the right to verify the authenticity of the Verification Certificate from the official who has issued it.
- Under Tatkaal scheme, no proof of urgency is required, except in cases of exemption of Tatkaal fee sought on account of specialised medical treatment and consultation abroad, and post police verification shall be done in all such cases.
- Fee for a passport under Tatkaal scheme is in addition to normal passport application fee. For details on fees, see Section E of the passport instruction booklet.
- For certain categories, Tatkaal Application is not permitted. Refer 'Table 2' – for list of categories who cannot apply under Tatkaal scheme.";

(iii) in Section D, –

(A) in sub-section D.1, –

(a) under the heading <D.I: LIST OF CATEGORIES OF APPLICANTS AND DOCUMENTS TO BE SUBMITTED BY THEM>, for serial number 4 and the entry relating thereto, the following shall be substituted, namely: –

"4. Document Nos.10 or 49 or 54: Pension Payment Order or Verification Certificate as per the specimen at Annexure 'F' or 3 out of 16 as per 'List of 16 documents'. The List of 16 documents has been given in Table-3, Refer Document No. 54.";

(b) in Table 2,–

(1) in case number (I) A, against serial number 7, under the heading PASSPORT SERVICES, in the sub-heading Fresh Passport, for the words and figures "age group 18-21", the words and figures "age group15-18" shall be substituted;

3204 GI/11-2

(2) in case number (II) E, against serial number 15, under the heading DOCUMENTS TO BE SUBMITTED, in the sub-heading Document No. - Tatkaal Application, for the entry "1(if address is different from old Passport), 3,5", the entry "Not applicable" shall be substituted;

(B) in sub-section D.2, under the heading <D.2 OVERALL LIST OF DOCUMENTS>, in Table 3, for serial number 54 and the entries relating thereto, the following serial number and entries, shall be substituted, namely: –

"54.	3 out of 16 documents listed are as under: **NOTE 2:** • For three documents to be submitted from the sixteen documents listed below, one of the three documents should be a photo identity document and at least one of the three must be amongst the documents indicated at (a) to (j) below. • Name in all the three documents should be same. (a) Electors Photo Identity Card (EPIC). (b) Service Photo Identity Card issued by State/Central Government, Public Sector Undertakings, local bodies or Public Limited Companies. (c) SC/ST/OBC Certificates (d) Freedom Fighter Identity Cards. (e) Arms Licences. (f) Property Documents such as Pattas, Registered Deeds, etc. (g) Ration Cards. (h) Pension Documents such as Ex-servicemen's Pension Book/Pension Payment Order, Ex-servicemen's Widow/Dependent Certificates, Old Age Pension Order, Widow Pension Order. (i) Railway Identity Cards. (j) Self- Passport(unrevoked and undamaged). (k) Income Tax Identity(PAN) Cards. (l) Bank/Kisan/Post Office Passbooks. (m) Student Photo Identity Cards issued by Government Recognised Educational Institutions in respect of full time courses. (n) Driving Licences (valid and within the jurisdiction of the State of submission of application).

	(o) Birth Certificates issued under the Registration of Births and Deaths Act, 1969. (p) Gas Connection Bill (of one year before and current bill).";.

(iv) in Section E, under the heading FEE LIST, for Table 4, the following shall be substituted, namely: –

"Table 4: Fee List

Sl. No.	Service Required	Application Fee	Additional Tatkaal fee
1.	Fresh Passport or reissue of Passport including additional booklet due to exhaustion of visa pages (36 pages) of 10 years validity (including minors between 15 to 18 years of age, who wish to get a 10 years full validity passport)	Rs.1,000/-	Rs.1,500/-
2.	Fresh Passport or reissue of Passport including additional booklet due to exhaustion of visa pages (60 pages) of 10 years validity (including minors between 15 to 18 years of age, who wish to get a 10 years full validity passport)	Rs.1,500/-	Rs.1,500/-
3	Fresh Passport or reissue of Passport for minors (below 18 years of age), of 5 years validity or till the minor attains the age of 18 whichever is earlier (36 pages)	Rs.600/-	Rs.1,500/-
4	Replacement of Passport (36 pages) in lieu of lost, damaged or stolen passport	Rs.2,500/-	Rs.1,500/-
5	Replacement of Passport (60 pages) in lieu of lost, damaged or stolen passport	Rs.3,000/-	Rs.1,500/-
6	Replacement of Passport (36 pages) for change in personal particulars (10 years validity)	Rs.1,000/-	Rs.1,500/-

MadraCode

7	Replacement of Passport (60 pages) for change in personal particulars (10 years validity)	Rs.1,500/-	Rs.1,500/-
8	Replacement of Passport (36 pages) for change in personal particulars for minors (below 18 years of age), of 5 years validity or till the minor attains the age of 18, whichever is earlier.	Rs.600/-	Rs.1,500/-
9	Replacement of Passport(36 pages) for deletion of ECR (10 years validity)	Rs.1,000/-	Not applicable
10	Replacement of Passport(60 pages) for deletion of ECR(10 years validity)	Rs.1,500/-	Not applicable
11	Issue of Police Clearance Certificate(PCC) or Surrender Certificate or Certificate of Date of Birth or any other miscellaneous certificates based on the Passport	Rs.500/-	Not applicable

Note:

1. Tatkaal application shall be accepted only if an applicant is eligible for submission of a Tatkaal application under the rules.

2. Tatkaal fee is to be paid in addition to the application fee mentioned above.";

(v) in Section G, under the heading SPECIMEN OF AFFIDAVITS/DECLARATIONS,

(A) in ANNEXURE 'F', after the words "Mobile No.....", the following shall be inserted, namely:--

"Fax Number.....

E-mail Id.....";

(B) in ANNEXURE 'J', after the words "Mobile No.....", the following shall be inserted, namely:--

"Fax Number.....

E-mail Id.....".

[F. No. V.I/401/01/05/08]

MUKTESH K. PARDESHI, Jt. Secy. and Chief Passport Officer

Note:- The principal rules were published in the Gazette of India vide number G.S.R. 691(E), dated the 11th December,1980, and subsequently amended vide :--

(i)	G.S.R. 50(E),	dated the 7th February, 1981;
(ii)	G.S.R. 494(E),	dated the 10th June, 1981;
(iii)	G.S.R. 469(E),	dated the 24th June, 1982;
(iv)	G.S.R. 325(E),	dated the 12th April, 1983;
(v)	G.S.R. 494(E),	dated the 16th June, 1983;
(vi)	G.S.R. 345(E),	dated the 29th March, 1985;
(vii)	G.S.R. 860(E),	dated the 1st November, 1985;
(viii)	G.S.R. 857(E),	dated the 13th October, 1987;
(ix)	G.S.R. 84 (E),	dated the 11th February, 1988;
(x)	G.S.R. 1155(E),	dated the 21st November, 1988;
(xi)	G.S.R. 622(E),	dated the 27th June, 1990;
(xii)	G.S.R. 653(E),	dated the 2nd July, 1990
(xiii)	G.S.R. 100(E),	dated the 4th March, 1991;
(xiv)	G.S.R. 275(E),	dated the 20th March, 1991;
(xv)	G.S.R. 586(E),	dated the 21st June, 1991;
(xvi)	G.S.R. 111(E),	dated the 22nd January, 1992;
(xvii)	G.S.R. 684(E),	dated the 15th June, 1992;
(xviii)	G.S.R. 721(E),	dated the 7th August, 1992;
(xix)	G.S.R. 477(E),	dated the 16th June, 1993;
(xx)	G.S.R. 485(E),	dated the 1st July, 1993;
(xxi)	G.S.R. 503(E),	dated the 10th July, 1993;
(xxii)	G.S.R. 833(E),	dated the 2nd December, 1994;
(xxiii)	G.S.R. 592(E)	dated the 7th August, 1995;
(xxiv)	G.S.R. 491(E)	dated the 28th August, 1997;
(xxv)	G.S.R. 605(E),	dated the 5th October, 1998;
(xxvi)	G.S.R. 516(E),	dated the 8th July, 1999;
(xxvii)	G.S.R. 827(E),	dated the 29th December, 1999;
(xxviii)	G.S.R. 472(E),	dated the 22nd May, 2000;
(xxix)	G.S.R. 473(E),	dated the 22nd May, 2000;
(xxx)	G.S.R. 485(E),	dated the 23rd May, 2000;
(xxxi)	G.S.R. 529(E),	dated the 8th June, 2000;
(xxxii)	G.S.R. 584(E),	dated the 12th June, 2000;
(xxxiii)	G.S.R. 632(E),	dated the 29th June, 2000;
(xxxiv)	G.S.R. 482(E),	dated the 26th June, 2001;
(xxxv)	G.S.R. 527(E),	dated the 9th July, 2001:
(xxxvi)	G.S.R. 576(E),	dated the 27th July, 2001;
(xxxvii)	G.S.R. 817(E),	dated the 29th October, 2001;
(xxxviii)	G.S.R. 879(E),	dated the 4th December, 2001;
(xxxix)	G.S.R. 235(E),	dated the 28th March, 2002;
(xl)	G.S.R. 417(E),	dated the 29th May, 2002;
(xli)	G.S.R. 429 (E),	dated the 23rd May, 2003;
(xlii)	G.S.R. 399(E),	dated the 5th May, 2005;
(xliii)	G.S.R. 674(E),	dated the 27th October, 2006;
(xliv)	G.S.R. 768(E),	dated the 23rd December, 2006;
(xlv)	G.S.R. 396(E),	dated the 25th May, 2007;
(xlvi)	G.S.R. 526(E),	dated the 2nd August, 2007;

(xlvii)	G.S.R. 733(E),	dated the 28th November, 2007;
(xlviii)	G.S.R. 43(E),	dated the 22nd January, 2008;
(xlix)	G.S.R. 103(E),	dated the 22nd February, 2008;
(l)	G.S.R. 850(E),	dated the 11th December, 2008;
(li)	G.S.R. 390(E),	dated the 4th June, 2009;
(lii)	G.S.R. 93,	dated the 26th June, 2009;
(liii)	G.S.R. 372(E),	dated the 27th April, 2010;
(liv)	G.S.R. 675(E),	dated the 26th July, 2010.

IndiaCode

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.